न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : नानू राम सैनी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 39 / 2022

अपीलांटगण– **बनाम** **उत्तरदातागण–**

अपीलांटगण:
1. आसूराम पुत्र जीवणाराम
2. पन्नाराम पुत्र जीवणाराम
3. जेतीदेवी पत्नी जीवणाराम
4. चतरूदेवी पत्नी वागाराम
5. चेतनराम पुत्र वागाराम
   जातियान जाट,
   निवासीयान खेमोणी मूढ़ों
   की ढ़ाणी, माधासर तहसील
   बायतु जिला बालोतरा।

उत्तरदातागण:
1. भगाराम पुत्र भैराराम
2. भूराराम पुत्र लालाराम
3. गोमाराम पुत्र भैराराम
4. गवरीदेवी पत्नी मोटाराम
5. विरेन्द्र चौधरी उर्फ वीराराम
   पुत्र मोटाराम,
   जातियान जाट, निवासियान
   खेमोणी मूढ़ों की ढ़ाणी,
   माधासर तहसील बायतु
   जिला बालोतरा।
6. तहसीलदार बायतु।

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक– राजस्व/2009/1096 दिनांक 19.02.2009 तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्तागण उतरदातागण संख्या 01 से 05 की ओर से अनुपस्थित।
3. उतरदाता संख्या 06 फॉरमल पक्षकार होने से उपस्थिति आवश्यक नहीं।

आदेश

दिनांकः– 10.09.2024

1. पत्रावली पेश हुई। अपीलांटगण के अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्तागण उतरदातागण संख्या 01 से 05 बावजूद सूचना जरिये कॉजलिस्ट अनुपस्थित। प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण है कि अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 01 से 05 हिन्दू विधि से शासित है जिनकी पैतृक खातेदारी मौजा खेमोंणी मूढ़ों की ढ़ाणी पटवार हल्का माधासर तहसील बायतु के खेत खसरा संख्या 194 संयुक्त रकबा 169.16 बीघा भूमि में आया हुआ है। जिसका आपसी सहमति विभाजन आदेश क्रमांक – राजस्व/2009/1096 दिनांक 19.02.2009 को तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया गया था। आदेश से व्यथित होकर अपीलांटगण ने अपील इस न्यायालय में पेश की।
2. इस न्यायालय द्वारा प्रकंरण दर्ज कर उतरदातागण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विवादित भूमि का मूल अभिलेख प्राप्त करने हेतु तहसीलदार बायतु को मिसल चिटठ़ी लिखी गई। जिस पर मूल अभिलेख को प्राप्त कर पत्रावली

आतेरिक्त जिला कलेक्टर

में शामिल किया गया। उतरदातागण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गए। उतरदातागण की तामिली पूर्ण होने पर तामिली रिपोर्ट पत्रावली में शामिल की गई। अधिवक्ता अपीलांटगण दौरान सुनवाई उपस्थित हुए। अधिवक्तागण उतरदातागण की ओर से बावजूद सूचना जरिये कॉजलिस्ट लगातार अनुस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलांटगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई और दौरान बहस अधिवक्ता अपीलांटगण ने अवगत कराया कि उतरदातागण संख्या 01 से 05 एवं अपीलांटगण ने तहसीलदार बायतु के समक्ष वादग्रस्त खेतों का मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व किये गये बाहामी बंटवाड़ा अनुसार विभाजित करने व पक्षकारान का पृथक–पृथक खातेदारी का अंकन करने का प्रस्ताव रखा। जिस पर अपीलांटगण ने मौके पर कब्जा काश्तानुसार सहमति प्रदान की। उक्त विभाजन प्रस्ताव हेतु दोनों पक्षों ने पटवारी से मिलकर विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा काश्त अनुसार तैयार कर मौके पर लाईन डालकर विभाजन करवाने हेतु सहमति जाहिर की।

उतरदाता संख्या 01 से 05 ने पटवारी हल्का के साथ मिलकर विभाजन हेतु तैयार पूर्व नक्शे पर अपीलांटगण व उतरदातगण द्वारा किये गए हस्ताक्षर एवं अंगुष्ठ निशान को उतरदातागण के कहे अनुसार बदल कर विभाजन आदेश तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश किया। इस समस्त कार्यवाही का अपीलांटगण को कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए अपीलांटगण द्वारा उक्त विभाजन आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करने पर उतरदातागण द्वारा करवाये हुए गलत विभाजन की जानकारी हुई। जिस पर अपीलांटगण को यह अपील पेश करनी पड़ी। इसलिए उक्त बंटवाड़ा आदेश पक्षकारों के कब्जे को ध्यान में नहीं रखते हुए पारित किया गया है। विवादित भूमि का मौके पर भी पक्षकारान के कब्जा–काश्त के विपरीत यह आदेश पारित किया गया है एवं उक्त विभाजन पक्षकारान के भौतिक कब्जे के अनुसार नहीं किया गया है। जिसके कारण अपीलांटगण को अपूरणीय क्षति हुई है। अतः तहसीलदार बायतु द्वारा पारित विभाजन आदेश को अपास्त कर पत्रावली को पुनः नये सिरे से बंटवाड़ा करवाने के लिए तहसीलदार बायतु को प्रेषित की जावे।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

3. अधिवक्ता उतरदातागण संख्या 01 से 05 बावजूद सूचना जरिये कॉज लिस्ट अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता अपीलांटगण की एक पक्षीय बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड मय नजरी नक्शा की प्रमाणित प्रति एवं मूल बंटवाड़ा आदेश को ध्यान में रखते हुए तथा पत्रावली के गहन अध्ययन उपरांत पाया कि मौजा खेमोंणी मूढ़ों की ढ़ाणी पटवार हल्का माधासर के खेत खसरा संख्या 194 संयुक्त रकबा 169.16 बीघा भूमि का बंटवाड़ा आदेश दिनांक 19.02.2009 को पारित किया गया था जिसकी पालना

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा

में राजस्व रेकर्ड (जमाबंदी) में बंटवाड़ा आदेश को अमलदरामद किया गया था। चूंकि अपीलांटगण की मुख्य आपत्ति है, कि बंटवाड़ा मौके पर कब्जा काश्त के विपरीत हुआ है। कानून की मंशा है कि राजस्व रेकर्ड व मौका स्थिति समानान्तर होनी चाहिए, ताकि एकरूपता बनी रहें। अपीलांटगण अपीलाधीन आदेश निरस्त करवाकर मौके पर कब्जा काश्त स्थिति एवं राजस्व रेकर्ड अनुसार बंटवाड़ा चाहता है। ऐसी सूरत में अपीलांटगण की अपील का निस्तारण किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। लिहाजा अपीलांटगण की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बायतु के आदेश क्रमांक – राजस्व/2009/1096 दिनांक 19.02.2009 को अपास्त किया जाता है और प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ तहसीलदार बायतु को प्रति प्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान के मौके पर कब्जे काश्त एवं हिस्सा अनुसार सभी पक्षकारो की उपस्थिति में भूमि का विभाजन आदेश एवं नक्शे में अंकित करते हुए पुनः विधिवत नये सिरे से आपसी सहमति बंटवाड़ा आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक **10.09.2024** को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और दर्ज नम्बर से कम हो।.

(नानू राम सैनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा